

वन विभाग, हरियाणा सरकार,  
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र  
वन परिसर, पिपली, कुरुक्षेत्र, फोन नं० / फैक्स-01744-230743  
E-mail-dfo.kkr-hry@nic.in

कमांक: 2763

दिनांक 2/12/2020

सेवा में:


The General Manager (Tech) & Project Director,  
NHAI, PIU, Ambala

विषय: Diversion of 27.792 ha.(2.39 ha. in Kurukshetra) of forest land Construction of 4-lanning of Saha to Shahbad, Section from Km. 14.840 to Km. 31.760 of NH-444(A) in the State of Haryana (online Proposal No. FP/HR/Road/44256/2020).

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, चण्डीगढ़ के कार्यालय का पत्र क्रमांक 9 HRB081/2020-CHA दि० 23.11.2020

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भांकित पत्र द्वारा आपके केस में सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आपको सी०ए० स्कीम अनुसार जमा करवाने वाली राशि का विवरण (डिमाण्ड नोट) निम्न प्रकार से भेजते हुए लिखा जाता है कि आप प्रस्ताव से सम्बन्धित राशि 1,44,27,693/- रू० भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाए तथा एफ०आर०ए० का सर्टीफिकेट भी अपलोड करें ताकि तदनुसार इस कार्यालय द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।

Sr.	Particular	Amount in `
1	Compensatory Afforestation	7494756
2	Additional Compensatory Afforestation	0
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment:	0
5	Safety Zone:	0
6	Additional Charges for protected Area	0
7	Net Present Value (NPV):	2119930
8	Felling Charges	2564580
9	Other Charges (Barbed Wire)	0
10	Soil Moisture Conservation (SMC) Work	2248427
	<b>Total</b>	<b>14427693</b>
	Remarks	

  
वन मण्डल अधिकारी,  
कुरुक्षेत्र।

वन विभाग, हरियाणा सरकार ।  
कार्यालय उप वन संरक्षक, अम्बाला वन मण्डल, अम्बाला शहर ।  
फॉरेस्ट काम्प्लैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171-2550916

कमांक:

1052

दिनांक: 02-12-2020

सेवा में,

Project Director,  
PIU, Ambala, NHAI,  
17-L Model Town,  
Ambala City.

विषय:

**Diversion of 27.792 Ha.(25.402 ha in Ambala Division and 2.39 ha in Kurukshetra Division) of Forest land for in favour of General Manger (Tech) & Project Director, NHAI PIU Ambala Widening/Construction of 4 Lanning Saha to Shahabad road (NH 444-A) Section from km 14.840 to 31.760, under Forest Division & Distt. Ambala and Kurukshetra Haryana (FP/HR/ROAD/44256/2020).**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र कंमाक 9-HRC081/2020-CHA दिनांक 23.11.2020 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी अनुपालना में विवरण अनुसार उक्त केस से सम्बन्धित राशि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website <http://Parivesh.nic.in> पर ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Particulars	Amount (in Rs.)
1	Compensatory Afforestation	39900103.7
2	Additional Compensatory Afforestation	0.00
3	Penal Compensatory Afforestation	0.00
4	Catchment Area Treatment	0.00
5	Safety Zone	0.00
6	Additional Charges for protected area	0.00
7	Net Present Value (NPV)	22531574.00
8	Any other Charges (Soil & Moisture Conservation)	11970030.90
a)	Felling Charges	12742188.00
b)	Plantation Damage Charges	0.00
c)	<b>Additional Charges</b>	<b>500000.00</b>
	1.Survey & Demarcation	
	2.Petrol Vechile	1400000.00
	3.Powertrac Tractor	700000.00
	4. Trolly	200000.00

	5. C.C Stud 15 No. 800000/ Per Stud	12000000.00
	6. Generator for Range Office Naraingarh	700000.00
	7. Tubewell	700000.00
	8. EPA	3990010.37
	<b>Total</b>	<b>107333907.00</b>

इसके अतिरिक्त जारी की गई सैधान्तिक स्वीकृति की प्रति सलग्न भेजकर सूचित किया जाता है कि मद सख्या A के क्रम सख्या VII से X के बारे मांगी गई अण्डर टेकिंग भी उपलब्ध करवाई जाए। FRA Certificate उपायुक्त, अम्बाला के कार्यालय से प्राप्त करके इस कार्यालय में उपलब्ध कराए।



उप वन सरक्षक,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।